

1	2	3	4
9.	Pennar	6.32	651
10.	Mahi	11.02	1052
11.	Sabarmati	3.82	360
12.	Narmada	45.64	3109
13.	Tapi	14.83	1007
14.	West Flowing rivers from Tapi to Tadri	87.41	3383
15.	West Flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	113.53	3480
16.	East Flowing rivers between Mahanadi and Godavari	22.52	953
17.	East Flowing rivers between Pennar and Kanyakumari	16.46	366
18.	West Flowing rivers of Kutch and Saurashtra including Luni	15.10	683
19.	Area of Inland Drainage in Rajasthan	Negligible	—
20.	Minor rivers draining into Bangladesh and Myanmar	31.00	14623

1869.37 (say 1869)

Cauvery Water Dispute

258. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether any progress has been made with regard to resolving Cauvery water dispute;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The Government of India constituted Cauvery Water Disputes Tribunal for adjudication of the Cauvery Water Disputes on 2nd June, 1990. The Tribunal has given an interim order on 25.6.1,991. As per the interim order the State of Karnataka is required to release water from its reservoirs so as to ensure that 205 Thousand Million Cubic Feet (TMC) of water is available in Tamil Nadu's Mettur

reservoir in a year from June to May with monthly and weekly stipulations, 6 TMC of water is to be delivered by the State of Tamil Nadu for the Karaikal region of Union Territory of Pondicherry in a regulated manner and the State of Karnataka shall not increase its area under irrigation by the waters of river Cauvery beyond the existing 11.2 lakh acres.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

259. श्री राघवजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं तथा प्रत्येक परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 में भारत सरकार द्वारा किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को अन्तिम रूप से

स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह स्वीकृति किन तारीखों से प्रदा की गई थी और उनमें से किन-किन परियोजनाओं पर राज्य सरकार ने कम शुरू किया है; और

(ग) ऐसी कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनायें हैं जिनके संबंध में जल संसाधन तथा पर्यावरण और वन मंत्रालयों ने और अधिक जानकारी की मांग की है जिनके राज्य द्वारा ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) :
 (क) से (ग) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का नाम, उनकी लम्बित मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का नाम, उनकी प्राप्ति की तारीख तथा मूल्यांकन की स्थिति देते हुए विवरण सभा पटल पर रखा गया है (नीचे देखिए)। (अनुलग्न)।
) वर्ष 1997-98 के दौरान, केवल सिन्ध फेज-II की 17.3.98 की योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई है और राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

विवरण

केन्द्र के पास लम्बित मध्य प्रदेश की वृहद और मध्य सिंचाई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4
1	वृहद बाणसागर यूनिट II	1/91	सलाहकार समिति द्वारा जनवरी 94 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।
2	राजघाट नहर	2/90	सलाहकार समिति द्वारा अगस्त 1993 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है
3	बारगी बहूउद्देशीय	1/98	सलाहकार समिति द्वारा सितम्बर 1989 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी अपेक्षित है।
4	कोलार	10/91	सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल 1992 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार की राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है और सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग के लिए प्रस्ताव तैयार करने अपेक्षित है।
5	थानावर टैंक	12/89	सलाहकार समिति द्वारा मार्च, 1991 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

1	2	3	4
6	पैंच व्यपवर्तन	8/88	सलाहकार समिति द्वारा अक्टूबर, 1988 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को आठवीं योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना अपेक्षित है। तथापि, चल रही स्कीमों को पूरा करने की आठवीं पंचवर्षीय योजना की नीति को देखते हुए योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।
7	महन	6/83	सलाहकार समिति द्वारा जून, 1983 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने हैं।
8	ओमकरेश्वर बहुउद्देशीय	11/92	सलाहकार समिति द्वारा जनवरी, 1993 में स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, से स्वीकृति प्राप्त करनी है। तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
9	ऊपर नर्मदा परियोजना	9/96	सितम्बर, 1996 में प्राप्त संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
मध्यम			
1	अपर बेदा	9/92	परियोजना 2/97 में जल संसाधन मंत्रालय को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाइ गई। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्य वित्त विभाग तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृत प्राप्त करनी अपेक्षित है।
2	ऊरी बाग	9/93	परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है केन्द्रीय जल आयोग की कुछ तकनीकि टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा अभी अनुपालना की जानी है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

260. श्री ऑकार सिंह लखावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल बंटवारे को लेकर राज्य-वार कुल कितने अन्तर्राज्यीय विवाद विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार इन मामलों को समय-बद्ध रू से हल करने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-बद्ध योजना बना रही है; और

यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?